विधानसभा प्रश्न क्र. 740 तारांकित
म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 परिशिष्ट
के संशोधन

धारा ४८-ग का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४८-ग में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख) सभापति, अन्य पदाधिकारियों तथा प्रतिनिधियों को निर्वाचित करना;".

धारा ४९ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ४९ में,—

(एक) उपधारा (२), (३) एवं (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"(२) ऐसे सम्मिलन की सूचना, सम्मिलन की तारीख से कम से कम पूर्ण चौदह दिनों पूर्व ऐसे अधिकारी को दी जाएगी, जिसमें कि सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की शक्ति निहित की गई हो.

(३) रजिस्ट्रार या ऐसा अधिकारी, जिसे सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, ऐसे सम्मिलन में स्वयं उपस्थित हो सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उसमें उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा.

(४) रजिस्ट्रार या ऐसे अधिकारी को, जिसे सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, उपधारा (१) के खण्ड (क), (ग), (घ) तथा (ङ) में विनिर्दिष्ट किए गए विषयों से संबंधित किसी भी मामले में सम्मिलन को संबोधित करने का अधिकार होगा.";

(दो) उपधारा (७-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"(७-क) (क) संचालक मंडल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मंडल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पांच वर्ष होगा.

(ख) संचालक मंडल के कार्यकाल के ५ वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मंडल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गए समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा और छह मास की कालावधि के भीतर संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा :

परन्तु सहकारी बैंक की दशा में, रजिस्ट्रार या प्रशासक एक वर्ष की कालावधि के भीतर बैंक के संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा.

(ग) विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी सोसाइटी का निर्वाचन कराये जाने की अवधि को कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी.

(घ) अन्य सोसाइटी के लिए संचालक गंडल द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल, सोसाइटी के संचालक मंडल के कार्यकाल के साथ-साथ चलेगा :

परन्तु यदि ऐसे प्रतिनिधि अन्य सोसाइटी के संचालक मंडल में सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं, उस सोसाइटी के संचालक मंडल के, जिसके लिये वे निर्वाचित हुए हैं, कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे.".

धारा ४९-ङ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ४९-ङ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक शीर्ष सोसाइटी के लिए, जहां राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति दी है, या सोसाइटी ने सरकार द्वारा प्रायोजित कोई कारबार किया है या केन्द्र या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोई क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त दो कारोबारों से संयुक्तत: या पृथकत: उसकी कुल राशि इसके कुल कारबार से ५० प्रतिशत या उससे अधिक